मा0---9

प्रेषक,

अपर सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
उत्तर प्रदेश,
क्षेत्रीय उप कार्यालय, वाराणसी

सेवा में,

प्रबन्धक,

अनन्त बाल विद्याकेन्द्र उ0मा0 विद्यालय,
ग्राम बा ग, दुहाई, पो0 सुरजूपुर, फैजाबाद ।

पत्र संख्या आई0 वी0 मान्यता। 802 वाराणसी दिनांक 14. 8. 1995

विषय :---आपका हाई स्कूल। ~~इन्टरमीडिएट~~ परीक्षा के लिये नवीन। ~~अतिरिक्त (वर्ग। विषय)~~ की मान्यता का प्रार्थना-पत्र ।

महोदय,

राजाज्ञा सं0 1181/15-7-4(546)/94, दिनांक 31.3.95 के अधीन एवं।

शासन ने मान्यता समिति एवं सभापति माध्यमिक शिक्षा परिषद् की संस्तुति के उपरान्त/इन्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम 1987 (1996) की धारा 7-क के अन्तर्गत आपके विद्यालय को बालक। ~~बालिका~~ विद्यालय के रूप में परिषद की 1995 की हाई स्कूल। ~~इन्टरमीडिएट~~ परीक्षा में निम्नलिखित वर्ग विषयों में सामान्य व विशेष प्रतिबन्धों के साथ नवीन। ~~अतिरिक्त वर्ग।~~ विषयों में मान्यता दिये जाने का आदेश प्रदान किया है ।

सामान्य प्रतिबन्ध

(1) इस पत्र में अंकित वर्ग। विषय की नवीन 9वीं। ~~11वीं~~ कक्षा संचालित करने के पूर्व शिक्षा के प्रबन्ध से (जैसे अध्यापकगण, सज्जा, शिक्षण-सामग्री, प्रयोगशाला, भवन, पुस्तकालय, स्थान, प्राभूत, सुरक्षित कोष एवं आर्थिक स्थिति और अन्य प्रतिबन्धों की पूर्ति) तथा विद्यालय के अनुशासन व प्रशासन से जिला विद्यालय निरीक्षक। ~~मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका~~ को पूर्णरूपेण संतुष्ट कर उनसे लिखित अनुमति प्राप्त कर ली जाय । बिना उनको लिखित अनुमति के संचालित कक्षा अमान्य व अनियमित होगी और इसके लिये संस्थाधिकारी ही स्वयमेव उत्तरदायी होंगे ।

(2) इस आदेश-पत्र के निर्गत होने की तिथि से दो वर्ष के अन्दर ही जिला विद्यालय निरीक्षक। ~~मंडलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका~~ से 9वीं। ~~11वीं~~ कक्षा संचालित करने की अनुमति प्राप्त कर ली जाय ।

(3) सज्जा की व्यवस्था शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार की जाय । इसके लिये सिंगिल सीटेड डेस्क व चेयर्स ही स्वीकार किए जायेंगे ।

(4) इस पत्र में अंकित विषयों के अध्यापनार्थ परिषद् द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं से विभूषित अध्यापकों। अध्यापिकाओं की नियुक्ति नियमानुसार की जाय तथा अप्रशिक्षित अध्यापकों। अध्यापिकाओं के स्थान पर प्रशिक्षित एवं योग्य अध्यापकों। अध्यापिकाओं की नियुक्ति की जाय ।

(5) नियमानुसार एक योग्य प्रधानाचार्य। प्रधानाचार्या की नियुक्ति की जाय ।

(6) नवीन कक्षाएं संचालित करने का समस्त व्यय संस्थाधिकारी स्वयमेव वहन करें ।

विशेष प्रतिबन्ध

(क) संस्था द्वारा प्रेषित मान्यता सम्बन्धी विवरण में यदि कोई सूचना गलत पायी जाती है तो विद्यालय की प्रदत्त मान्यता निरस्त कर दी जायेगी ।

(ख)

वर्ग व विषयों का विवरण

वर्ग	अनिवार्य विषय	वैकल्पिक विषय
मा०हि०	हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित-1, विज्ञान-1, सामाजिक विज्ञान, नैतिक शारीरिक समाजोपयोगी, उत्पादक एवं समाज सेवा कार्य ।	नागरिकशास्त्र

टिप्पणी (1) कक्षा . 9 . . . में प्रवेश हेतु कम से कम . . . 30 . छात्र उपलब्ध होने तथा इस पत्र में अंकित समस्त प्रतिबन्धों (नियुक्तियों को छोड़कर) की पूर्ति होने के उपरान्त ही निरीक्षक।निरीक्षिका कृपया कक्षा संचालन की अनुमति प्रदान करें ।

संलग्न-भवन विश्लेषण

भवदीय,

(रामाज्ञा राय)
अपर सचिव ।

दिनांक 14.8.85

पृष्ठांकन संख्या आई0 बी0 मान्यता ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

(1) जिला विद्यालय निरीक्षक। ~~मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका~~ ।

(2) मण्डलीय उपशिक्षा निदेशक फैजाबाद

(3) उप शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा निदेशालय, उ0 प्र0, इलाहाबाद ।

(4) हाई स्कूल।इन्टरमीडिएट परीक्षा संस्थागत अनुभाग ।

(रामाज्ञा राय)
अपर सचिव ।

पी0 एस0 यू0 पी0 (वा0)---93 मा0 शि0 प0--28-2-84---332--20,000 ।

मा०–9

प्रेषक,

अपर सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
उत्तर प्रदेश,
क्षेत्रीय उप कार्यालय, वाराणसी

सेवा में,

प्रबन्धक,
जनता बाल विद्याकेन्द्र उ०मा०विद्यालय,
ग्राम बाबा दुधई, दुरगुपुर, अम्बेडकरनगर ।

पत्र संख्या आई० बी० मान्यता 5576 वाराणसी, दिनांक 12 – 2 – 1999

विषयः–आपका हाई स्कूल/इण्टरमीडिएट परीक्षा के लिये नवीन/अतिरिक्त (वर्ग/विषय) की मान्यता का प्रार्थना-पत्र।

महोदय,

शासन ने मान्यता समिति एवं सभापति माध्यमिक शिक्षा परिषद् की संस्तुति के उपरान्त इन्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम की धारा 7-क 'क' के अन्तर्गत आपके विद्यालय को बालक/बालिका विद्यालय के रूप में परिषद् की 199— 2000 की हाई स्कूल/इन्टरमीडिएट परीक्षा से निम्नलिखित वर्ग/विषयों में सामान्य व विशेष प्रतिबन्धों के साथ नवीन/अतिरिक्त वर्ग/विषयों में मान्यता दिये जाने का आदेश प्रदान किया है।

सामान्य प्रतिबन्ध

(1) इस पत्र में अंकित वर्ग/विषय की नवीन 9वीं/11वीं कक्षा संचालित करने के पूर्व शिक्षा के प्रबन्ध से (जैसे अध्यापकगण, सज्जा, शिक्षण-सामग्री, प्रयोगशाला, भवन, पुस्तकालय, स्थान, प्राभूत, सुरक्षित कोष एवं आर्थिक स्थिति और अन्य प्रतिबन्धों की पूर्ति) तथा विद्यालय के अनुशासन व प्रशासन से जिला विद्यालय निरीक्षक/मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका को पूर्णरूपेण संतुष्ट करें उनसे लिखित अनुमति प्राप्त कर ली जाय। बिना उनकी लिखित अनुमति के संचालित कक्षा अमान्य व अनियमित होगी और इसके लिये संस्थाधिकारी ही स्वयमेव उत्तरदायी होंगे।

(2) इस आदेश-पत्र के निर्गत होने की तिथि से दो वर्ष के अन्दर ही जिला विद्यालय निरीक्षक/मंडलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका से 9वीं/11वीं कक्षा संचालित करने की अनुमति प्राप्त कर ली जाय। प्रबन्धक कक्षा संचालन की सूचना लिखित रूप में जि०वि०नि०/परिषद कार्यालय को तुरन्त प्रेषित करें ।

(3) सज्जा की व्यवस्था शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार की जाय। इसके लिये सिंगिल सीटेड डेस्क व चेयर्स ही स्वीकार किए जायेंगे।

(4) इस पत्र में अंकित विषयों के अध्यापनार्थ परिषद् द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं से विभूषित अध्यापकों/अध्यापिकाओं की नियुक्ति नियमानुसार की जाय तथा अप्रशिक्षित अध्यापकों/अध्यापिकाओं के स्थान पर प्रशिक्षित एवं योग्य अध्यापकों/अध्यापिकाओं की नियुक्ति की जाय।

(5) नियमानुसार एक योग्य प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या की नियुक्ति की जाय।

(6) नवीन कक्षाएं संचालित करने का समस्त व्यय संस्थाधिकारी स्वयमेव वहन करें।

विशेष प्रतिबन्ध

(क) संस्था द्वारा प्रेषित मान्यता सम्बन्धी विवरण में यदि कोई सूचना गलत पायी जाती है तो विद्यालय को प्रदत्त मान्यता निरस्त कर दी जायेगी।

(ख) 30×20 माप के एक, 10×12 माप के एक कुल 2 कमरों का निर्माण एक वर्ष के अन्दर कराया जाय ।

वर्ग व विषयों का विवरण

वर्ग	अनिवार्य विषय	वैकल्पिक विषय
साहि0	हिन्दी	अंग्रेजी, संस्कृत, नागरिकशास्त्र, समाजशास्त्र, शिक्षाशास्त्र ।

टिप्पणी (1) कक्षा 11 में प्रवेश हेतु कम से कम 40 छात्र उपलब्ध होने तथा इस पत्र में अंकित समस्त प्रतिबन्धों (नियुक्तियों को छोड़कर) की पूर्ति होने के उपरान्त ही निरीक्षक/निरीक्षिका कृपया कक्षा संचालन की अनुमति प्रदान करें।

संलग्न-- भवन विवरण ।

भवदीय,
11/2/99

(कु0 कमलेश प्रियदर्शी)
अपर सचिव।
5/2/99

पृष्ठांकन संख्या आई० बी० मान्यता।

दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) जिला विद्यालय निरीक्षक/~~मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका~~। अम्बेडकरनगर ।

(2) ~~मण्डलीय उपशिक्षा निदेशक~~। संयुक्त शिक्षा निदेशक, फैजाबाद ।

(3) उप शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा निदेशालय, उ० प्र० इलाहाबाद।

(4) ~~हाई स्कूल/इन्टरमीडिएट परीक्षा संस्थागत अनुभाग~~।

(4) सचिव, मा0शि0प0, उ0प्र0, इलाहाबाद ।

(कु0 कमलेश प्रियदर्शी)
अपर सचिव।

पी०एम०यू०पी० (वा०) 41 मा०शि०प० – 16-6-95—40,000।

प्रेषक,

अपर सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
उत्तर प्रदेश,
क्षेत्रीय उप कार्यालय, वाराणसी

सेवा में,

प्रबन्धक,
जनता बाल विद्या केन्द्र इण्टर कालेज,
~~झामबाबा दुर्ग दुर्गापुर~~, अम्बेडकरनगर।

पत्र संख्या आई० बी० मान्यता 1806 वाराणसी, दिनांक 9-1-02 199

विषयः—आपका हाई स्कूल/इण्टरमीडिएट परीक्षा के लिये नवीन/अतिरिक्त (वर्ग/विषय) की मान्यता का प्रार्थना-पत्र।

महोदय

रा०सं० 7221/15-7-4(2337)/2001 दिनांक 15 अक्टूबर, 2001 द्वारा धारा 9(4) तथा

शासन ने/मान्यता समिति एवं सभापति माध्यमिक शिक्षा परिषद् की संस्तुति के उपरान्त इन्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम की धारा 7-क 'क' के अन्तर्गत आपके विद्यालय को बालक/बालिका विद्यालय के रूप में परिषद् की 199—की हाई ~~स्कूल~~/इन्टरमीडिएट परीक्षा से निम्नलिखित वर्ग/विषयों में सामान्य व विशेष प्रतिबन्धों के साथ नवीन/अतिरिक्त वर्ग/विषयों में मान्यता दिये जाने का आदेश प्रदान किया है।

सामान्य प्रतिबन्ध

(1) इस पत्र में अंकित वर्ग/विषय की नवीन 9वीं/11वीं कक्षा संचालित करने के पूर्व शिक्षा के प्रबन्ध से (जैसे अध्यापकगण, सज्जा, शिक्षण-सामग्री, प्रयोगशाला, भवन, पुस्तकालय, स्थान, प्राभूत, सुरक्षित कोष एवं आर्थिक स्थिति और अन्य प्रतिबन्धों की पूर्ति) तथा विद्यालय के अनुशासन व प्रशासन से जिला विद्यालय निरीक्षक/मण्डलीय ~~बालिका विद्यालय निरीक्षिका~~ को पूर्णरूपेण संतुष्ट कर उनसे लिखित अनुमति प्राप्त कर ली जाय। ~~बिना उनकी लिखित अनुमति के संचालित कक्षा अमान्य व अनियमित होगी और इसके लिये संस्थाधिकारी ही स्वयमेव उत्तरदायी होंगे।~~

(2) इस आदेश-पत्र के निर्गत होने की तिथि से दो वर्ष के अन्दर ही जिला विद्यालय निरीक्षक/~~मंडलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका~~ तथा इस कार्यालय को से 9वीं/11वीं कक्षा संचालित करने की ~~अनुमति प्राप्त कर ली जाय~~। लिखित सूचना प्राप्त करायें।

(3) सज्जा की व्यवस्था शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार की जाय। इसके लिये सिंगिल सीटेड डेस्क व चेयर्स ही स्वीकार किए जायेंगे।

(4) इस पत्र में अंकित विषयों के अध्यापनार्थ परिषद् द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं से विभूषित अध्यापकों/अध्यापिकाओं की नियुक्ति नियमानुसार की जाय तथा अप्रशिक्षित अध्यापकों/अध्यापिकाओं के स्थान पर प्रशिक्षित एवं योग्य अध्यापकों/अध्यापिकाओं की नियुक्ति की जाय।

~~(5) नियमानुसार एक योग्य प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या की नियुक्ति की जाय।~~

(6) नवीन कक्षाएं संचालित करने का समस्त व्यय संस्थाधिकारी स्वयमेव वहन करें।

विशेष प्रतिबन्ध

(क) संस्था द्वारा प्रेषित मान्यता सम्बन्धी विवरण में यदि कोई सूचना गलत पायी जाती है तो विद्यालय को प्रदत्त मान्यता निरस्त कर दी जायेगी।

(ख) परिशिष्ट"क" में अंकित समस्त प्रतिबन्धों की पूर्ति विषयक प्रमाण पत्रों को एक वर्ष के अन्दर निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त कराने का कष्ट करें।

(ग) निर्धारित तिथि तक प्रमाण पत्रों के प्राप्त न होने पर मान्यता प्रत्याहरण की कार्यवाही की जायेगी।

वर्ग व विषयों का विवरण

वर्ग	अनिवार्य विषय	वैकल्पिक विषय
साहित्यिक	---	इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, तर्कशास्त्र, मनोविज्ञान, उर्दू।

टिप्पणी (1) कक्षा 11 में प्रवेश हेतु कम से कम 10-10 छात्र उपलब्ध होने तथा इस पत्र में अंकित समस्त प्रतिबन्धों (नियुक्तियों को छोड़कर) की पूर्ति होने के उपरान्त ही निरीक्षक/निरीक्षिका कृपया कक्षा संचालन की अनुमति प्रदान करें।

भवदीय,

क्षेत्रीय अपर सचिव।

पृष्ठांकन संख्या आई० बी० मान्यता। 1806/ 9-1-02 दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) जिला विद्यालय निरीक्षक/~~मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका~~। अम्बेडकरनगर।

(2) मण्डलीय उपशिक्षा निदेशक। फैजाबाद।

(3) ~~उप शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा निदेशालय, उ० प्र० इलाहाबाद।~~

(4) ~~हाई स्कूल~~/इन्टरमीडिएट परीक्षा संस्थागत अनुभाग।

(4) सचिव, मा०शि०प०, इलाहाबाद।

क्षेत्रीय अपर सचिव।

5-1-02

मा0 - 9

प्रपत्र–1

प्रेषक,

सेवा में,

अपर सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
उत्तर प्रदेश,
क्षेत्रीय उप कार्यालय, वाराणसी।

प्रबन्धक,
जनता बाल विद्या केन्द्र इण्टर कालेज ग्रामबाबा सूरजपुर अम्बेडकरनगर

पत्र संख्या आई0बी0 मान्यता 2034 वाराणसी, दिनांक 10-9-2009

विषय : इण्टरमीडिएट परीक्षा के लिये नवीन/अतिरिक्त (वर्ग/विषय) की मान्यता प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

शासन ने मान्यता समिति एवं सभापति माध्यमिक शिक्षा परिषद् की संस्तुति के उपरान्त इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम की धारा-7-क 'क' के अन्तर्गत आपके विद्यालय को बालक/~~बालिका~~ विद्यालय के रूप में परिषद् की 2001 ~~की हाईस्कूल~~/इण्टरमीडिएट परीक्षा से निम्नलिखित वर्ग/विषयों में सामान्य व विशेष प्रतिबन्धों के साथ नवीन/अतिरिक्त वर्ग/विषयों में मान्यता दिये जाने का आदेश प्रदान किया है।

सामान्य प्रतिबन्ध

(1) इस पत्र में अंकित वर्ग/विषय की नवीन 11 वीं कक्षा संचालित करने के पूर्व शिक्षा के प्रबन्ध से (जैसे अध्यापकगण, सज्जा, शिक्षण-सामग्री, प्रयोगशाला, भवन, पुस्तकालय, स्थान, प्राभूत, सुरक्षित कोष एवं आर्थिक स्थिति और अन्य प्रतिबन्धों की पूर्ति) तथा विद्यालय के अनुशासन व प्रशासंन से जिला विद्यालय निरीक्षक को पूर्णरूपेण संतुष्ट करें।

(2) कक्षा संचालन की लिखित सूचना रजिस्टर्ड डाक से जिला विद्यालय निरीक्षक/परिषद कार्यालय को तत्काल भेजें।

(3) सज्जा की व्यवस्था शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार की जाय। इसके लिये सिंगिल सीटेड डेस्क व चेयर्स ही स्वीकार किए जायेंगे।

(4) इस पत्र में अंकित विषयों के अध्यापनार्थ परिषद् द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं से विभूषित अध्यापकों/अध्यापिकाओं की नियुक्ति नियमानुसार की जाय तथा अप्रशिक्षित अध्यापकों/अध्यापिकाओं के स्थान पर प्रशिक्षित एवं योग्य अध्यापकों/अध्यापिकाओं की नियुक्ति की जाय।

(5) नियमानुसार एक योग्य प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या की नियुक्ति की जाय।

(6) नवीन कक्षाएं संचालित करने का समस्त व्यय संस्थाधिकारी स्वयमेव वहन करें।

विशेष प्रतिबन्ध

(क) संस्था द्वारा प्रेषित मान्यता सम्बन्धी विवरण में यदि कोई सूचना गलत पायी जाती है तो विद्यालय को प्रदत्त मान्यता निरस्त कर दी जायेगी।

(ख)

वर्ग व विषयों का विवरण

वर्ग	अनिवार्य विषय	वैकल्पिक विषय
मानविकी	---	गृहविज्ञान कला

टिप्पणी (1) कक्षा 11 में प्रवेश हेतु कम से कम 10-10 छात्र उपलब्ध होने चाहिए।

भवदीय,

क्षेत्रीय सचिव।

पृष्ठांकन संख्या आई0बी0 मान्यता। दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) जिला विद्यालय निरीक्षक। अम्बेडकरनगर

(2) संयुक्त शिक्षा निदेशक। फैजाबाद

(3) इण्टरमीडिएट परीक्षा संस्थागत अनुभाग वाराणसी।

(4) सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद् मुख्यालय, इलाहाबाद।

क्षेत्रीय सचिव।

पी0एस0यू0पी0 (वा0) 09 मा0शि0प0---28-07-09---50,000 (कम्प्यूटर/आफसेट)।

मा०-9

प्रेषक,

अपर सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
उत्तर प्रदेश,
क्षेत्रीय उप कार्यालय, वाराणसी

सेवा में,

प्रबन्धक,
~~जनता बाल शिक्षा केन्द्र इण्टर कालेज,~~
~~ग्राम बाबा सूरजपुर अम्बेडकरनगर।~~

पत्र संख्या आई० बी० मान्यता 6544 वाराणसी, दिनांक 13-2-2006 199

विषयः—आपका ~~हाई स्कूल~~/इण्टरमीडिएट परीक्षा के लिये ~~नवीन~~/अतिरिक्त (वर्ग/~~विषय~~) की मान्यता का प्रार्थना-पत्र।

महोदय,

शासन ने मान्यता समिति एवं सभापति माध्यमिक शिक्षा परिषद् की संस्तुति के उपरान्त इन्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम की धारा 7-क 'क' के अन्तर्गत आपके विद्यालय को बालक/बालिका विद्यालय के रूप में परिषद् की ~~199~~ 2007 की हाई स्कूल/इन्टरमीडिएट परीक्षा से निम्नलिखित वर्ग/विषयों में सामान्य व विशेष प्रतिबन्धों के साथ नवीन/अतिरिक्त वर्ग/विषयों में मान्यता दिये जाने का आदेश प्रदान किया है।

सामान्य प्रतिबन्ध

(1) इस पत्र में अंकित वर्ग/विषय की नवीन ~~9वीं~~/11वीं कक्षा संचालित करने के पूर्व शिक्षा के प्रबन्ध से (जैसे अध्यापकगण, सज्जा, शिक्षण-सामग्री, प्रयोगशाला, भवन, पुस्तकालय, स्थान, प्राभूत, सुरक्षित कोष एवं आर्थिक स्थिति और अन्य प्रतिबन्धों की पूर्ति) तथा विद्यालय के अनुशासन व प्रशासन से जिला विद्यालय निरीक्षक/मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका को पूर्णरूपेण संतुष्ट कर उनसे लिखित अनुमति प्राप्त कर ली जाय। बिना उनकी लिखित अनुमति के संचालित कक्षा अमान्य व अनियमित होगी और इसके लिये संस्थाधिकारी ही स्वयमेव उत्तरदायी होंगे।

(2) इस आदेश-पत्र के निर्गत होने की तिथि से दो वर्ष के अन्दर ही जिला विद्यालय निरीक्षक/~~मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका से~~ ~~9वीं~~/11वीं कक्षा संचालित करने की अनुमति प्राप्त कर ली जाय। कक्षा संचालन की सूचना परिषद/निरीक्षक को उपलब्ध करायें।

(3) सज्जा की व्यवस्था शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार की जाय। इसके लिये सिंगिल सीटेड डेस्क व चेयर्स ही स्वीकार किए जायेंगे।

(4) इस पत्र में अंकित विषयों के अध्यापनार्थ परिषद् द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं से विभूषित अध्यापकों/अध्यापिकाओं की नियुक्ति नियमानसार की जाय तथा अप्रशिक्षित अध्यापकों/अध्यापिकाओं के स्थान पर प्रशिक्षित एवं योग्य अध्यापकों/अध्यापिकाओं की नियुक्ति की जाय।

नियमानुसार एक योग्य प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या की नियुक्ति की ...

विशेष प्रतिबन्ध

(क) संस्था द्वारा प्रेषित मान्यता सम्बन्धी विवरण में यदि कोई सूचना गलत पायी जाती है तो विद्यालय को प्रदत्त मान्यता निरस्त कर दी जायेगी।

(ख)

वर्ग व विषयों का विवरण

वर्ग	अनिवार्य विषय	वैकल्पिक विषय
इण्टर विज्ञान वर्ग अति० ।	हिन्दी	भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित ।

टिप्पणी (1) कक्षा 11 में प्रवेश हेतु कम से कम 40 छात्र उपलब्ध होने तथा इस पत्र में अंकित समस्त प्रतिबन्धों (नियुक्तियों को छोड़कर) की पूर्ति होने के उपरान्त ही निरीक्षक/निरीक्षिका कृपया कक्षा संचालन की अनुमति प्रदान करें।

भवदीय,

अपर सचिव।

पृष्ठांकन संख्या आई० बी० मान्यता। दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) जिला विद्यालय निरीक्षक/मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका। अम्बेडकरनगर ।

(2) मण्डलीय उपशिक्षा निदेशक। फैजाबाद ।

(3) उप शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा निदेशालय, उ० प्र० इलाहाबाद।

(4) हाई स्कूल/इन्टरमीडिएट परीक्षा संस्थागत अनुभाग। सचिव, मा०शि०प०, उ०प्र०, इलाहाबाद ।

अपर सचिव।

प्रेषक,

क्षेत्रीय सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद,
क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी।

सेवा में,

प्रबन्धक,
जनता बाल विद्या केन्द्र इण्टर कालेज,
झामबाबा दुधई सूरजपुर अम्बेडकरनगर।

पत्रांक – आई0वी0/मान्यता/ 781 दिनांक– 30.7 2014

विषय :– **इण्टरमीडिएट परीक्षा के लिये नवीन/अतिरिक्त वर्ग/विषय की मान्यता के सम्बन्ध में।**

महोदय,

शासन ने मान्यता समिति एवं सभापति, माध्यमिक शिक्षा परिषद की संस्तुति के उपरान्त इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1987 की धारा–7क(क) के अन्तर्गत आपके विद्यालय को बालक/बालिका विद्यालय के रूप में परिषद की ***वर्ष– 2016*** की इण्टरमीडिएट परीक्षा से निम्नलिखित वर्ग/विषयों में सामान्य व विशेष प्रतिबन्धों के साथ नवीन/अतिरिक्त वर्ग/विषयों में मान्यता इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम की धारा–7क(क) के प्राविधानों के अधीन प्रदान किया है।

सामान्य प्रतिबन्ध

(1) इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम,1987 की धारा–7क(क) के प्राविधानों के अन्तर्गत इस पत्र द्वारा नवीन/वर्ग/विषय की प्रदत्त मान्यता को 11वीं कक्षा संचालित करने के पूर्व शिक्षा के प्रबन्ध की व्यवस्था, शिक्षण व्यवस्था, साज--सज्जा, शिक्षण सामग्री, प्रयोगशाला, भूमि/भवन, पुस्तकालय, प्राभूत कोष, सुरक्षित कोष एवं आर्थिक स्थिति और अन्य प्रतिबन्धों की पूर्ति कर ली जाय तथा विद्यालय के अनुशासन एवं प्रशासन की व्यवस्था सुनिश्चित कर जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से परिषद् को अवगत करायें।

(2) इस मान्यता–पत्र के निर्गत होने की तिथि से दो वर्ष के अन्दर ही संस्था द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक एवं परिषद् को 11वीं कक्षा संचालित करने की विधिवत् लिखित सूचना रजिस्टर्ड डाक द्वारा दी जाय अन्यथा इस पत्र द्वारा प्रदत्त मान्यता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

(3) इस पत्र में अंकित विषयों के अध्यापनार्थ परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यताधारी पात्र व्यक्ति को कार्य पर लगाया जाय।

(4) नियमानुसार एक योग्य प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या की नियुक्ति की जाय। यह प्रतिबन्ध केवल इण्टरमीडिएट की नवीन मान्यता पर ही प्रभावी होगा।

(5) इस पत्र द्वारा प्रदत्त मान्यता की नवीन कक्षायें संचालित करने का समस्त व्यय प्रबन्धाधिकरण द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा तथा इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनयम, 1987 की धारा–7क(क) के समस्त प्राविधान यथावत् लागू होगे। इस निमित्त कोई अनुदान देय नही होगा।

विशेष प्रतिबन्ध

(क) संस्थाधिकारी द्वारा मान्यता सम्बन्धी प्रस्तुत किये गये विवरण में यदि कोई सूचना/प्रमाण गलत अथवा मिथ्या पाया जाता है अथवा कोई तथ्य छिपाया जाता है तो विद्यालय को प्रदत्त मान्यता निरस्त कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्धाधिकरण का होगा।

(ख) विद्यालय का प्रबन्धतंत्र प्रत्येक तीन माह में विद्यालय में कार्यरत अध्यापकों एवं कर्मचारियों की सूची उनकी शैक्षणिक योग्यताओं के साथ परिषद् के क्षेत्रीय कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेंगे अन्यथा विद्यालय को प्रदत्त मान्यता प्रत्याहरित कर ली जायेगी।

(ग) प्रतिभूत (जमानत) की धनराशि रू0 5000=00 (रू0 5000=00 एवं रूपये 3000=00 प्रति वर्ग/प्रति विषय की दर से) विद्यालय के नाम जमा एवं जिला विद्यालय निरीक्षक के पदनाम में बंधक कराकर प्रमाण निरीक्षक के माध्यम से भेजे।

(घ) यह मान्यता का आदेश माननीय उच्च न्यायालय में योजित विशेष अपील संख्या–25/2006 मंजू अवस्थी व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा सम्बद्ध 05 अन्य विशेष अपील में मान0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 06–11–2012 के विरूद्ध मान0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित की जाने वाली विशेष अनुज्ञा याचिका में पारित होने वाले निर्णय के अधीन होगें।

प्रदत्त मान्यता का विवरण

वर्ग	अनिवार्य विषय	वैकल्पिक विषय
इण्टर वाणिज्य वर्ग अति0	**सामान्य हिन्दी**	**बहीखाता तथा लेखाशास्त्र, व्यापारिक संगठन एवं पत्रव्यवहार, अधिकोषण तत्व, औद्योगिक संगठन, अर्थशास्त्र तथा वाणिज्य भूगोल।**

टिप्पणी :– उक्त पत्र में अंकित समस्त सामान्य एवं विशेष प्रतिबन्धों की पूर्ति 6(छः) माह के अन्दर किये जाने की आख्या एवं प्रमाण निरीक्षक के माध्यम से प्रेषित किया जाना आवश्यक होगा।

भवदीय

क्षेत्रीय सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी

पृष्ठांकन सं0– आई0वी0/मान्यता/ दिनांक– 2014

प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. जिला विद्यालय निरीक्षक, **अम्बेडकरनगर।**
2. संभागीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, **फैजाबाद।**
3. इण्टरमीडिएट परीक्षा अनुभाग वाराणसी को अभिलेख हेतु।
4. सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, मुख्य कार्यालय, इलाहाबाद।

क्षेत्रीय सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी